कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांकः– 2137/14 सी0 दिनांकः– 11/12/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौडी (गढ़वाल)

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैखोली–देवराडी–कठूरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या 1625/FP/UK/ROAD/16539/2015 की सैद्वान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/131/2015/एफ0एसी0/1132 दिनांक 09.10.2016 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 6.156 है0 ग्राम चिलाऊ पल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के सवाम्तिव के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल सं0 678/26–प्रा0अधि0 (शा0प्रशा0)/2018 दिनांक पौडी 19.01.2018 आदेश उपजिलाधिकारी धुमाकोट के पत्रांक 206/अहलमद–विधिक/2017–18 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा मैखोली देवराडी कफलेख कठूरखाल मोटर मार्ग हेतु ग्राम चिलाऊ पल्ला पट्‌टी बंगी तहसील धुमाकोट के नान जेड ए 9 (2) ख जंगल झाडी खसरा सं0 579 की कुल रक्वा 7.557 है0 मध्ये 6.156 सिविल भूमि प्रस्तावित है, एवं शासनादेश सं0 2173/ XVII (2)/2012–18 (120) 2010 दिनांक 17.12. 2023 सरकारी योजना के लिये वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में में नियमानुसार नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका दाखिल खारीज चलवा लिया है। (नकल खतोनी संलग्न तीन प्रतियों में। (संलग्नक–4)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्वा वर्तमान मूल्य (एन0पीवी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचत बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वर्ममान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्वता का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। (संलग्नक–2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA)के तदर्थ निकाय खाते में Onlaine Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है। उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तहत निकाय खाते में आनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा चालान जनरेट कर जमा किया गया है। जो कि, आनलाईन paid दिखा रहा है (प्रति संलग्न तीन प्रतियॉ में) (संलग्नक–1)
5	सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय का वन विभाग की देख–रेख में Strip P;antation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा सैन्ट्रल वर्ज पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रील प्लानटेशन किये जाने की वचनबद्वता का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। (संलग्नक–3)

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांकः– /14 सी0 दिनांकः– / /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता महोदय, स्तर–।, लो0नि0वि0 पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 12वॉं वृत्त, लो0नि0वि0 पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

संलग्नक - 1

11:27:53 AM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/14471/2015 Basola-Bagdiyalgaoun-samaya motor road	ROAD144712015035	6114471035	06 Sep 2016	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1090594/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1090594/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :22 Sep 2025 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :13 Oct 2025 Transaction Date :18 Oct 2025	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/16539/2015 Extention of Maikhuli-Devradi-Kaflekh-Kathurkhal Motor Road.	ROAD165392015162	6116539162	19 Oct 2016	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1071790/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3149045/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- strip plantation : 2077255/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :20 Sep 2025 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :20 Sep 2025 Transaction Date :24 Sep 2025	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/10588/2015 Extension of Garsari Motor road to Kulyani - Dhandanikhet	ROAD105882015779	6110588779	17 Nov 2016	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 173027/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 173027/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :27 Dec 2024 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Jan 2025 Transaction Date :09 Jan 2025	Demand Letter Generated Challan

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय
पियर्सन रोड
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो०ओ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006
दूरभाष 0135–2750809
ईमेल/Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० 8बी/यूसीपी0/06/131/2016/एफ0सी0/1132

दिनांक 19/10/2016

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पौड़ी गढ़वाल में मैठुली–देवराड़ी–कफलेख –कटुरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.078 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/16539/2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/16539/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रसनगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद– पौड़ी गढ़वाल के मैठुली–देवराड़ी–कफलेख –कटुरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.078 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.156 है0 ग्राम– पिलाऊ पल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन पत्र प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की वैधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 6.156 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 127 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(एस एस [illegible])
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

([illegible])
वन संरक्षक

पेज 105 - 82

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

पत्रांकः–   /

दिनांकः–   /   /2024

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ममान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेंगी।

AE

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

संलग्नक - 3

परियोजना का नाम– जनपद पौडी गढवाल में मैखुली– देवराडी– कदूरखाल– मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहां– जहां सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Centaral Verge पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip plantation किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

नकल NON Z.A. खतौनी

ग्राम - मिलांक पल्ला, पट्टी - ईंगी-2, तहसील - धुमाकोट जिला - पौड़ी गढ़वाल

श्रेणी 9 (ख) 2 - अन्य प्रकार की जंगल झाड़ी इत्यादि -

क्र.सं.	खातेदार काबिज का नाम	मुद्दतकाश्त	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	नाम तोक	
1	झाड़ी	सा 9 9 वर्ष द्वारा बन्दोबस्त	579	7.557	सरोधार तोक	
			1	7.557		

नोट :- उपरोक्त भूमि उत्तराखण्ड सरकार की भूमि श्रेणी 9(ख) झाड़ी से पृष्ठां तथा खसरा सं. 579म कुल क्षेत्रफल 7.557 हैक्टेयर में से 6.156 मैदुली - देवराड़ी - कफलेख - चौंडा - कठूरसाल मोटर मार्ग का भूमि प्रत्या प्रस्ताव में आपेक्षित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (6.156 हैक्टे.) हेतु प्र भूमि चयनित है।

(हस्ताक्षर) 23/9/17
(एच० एस० खत्री)
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी ईंगी - 2
तहसील धुमाकोट
पौड़ी गढ़वाल

नकल खसरा" सन 1425 फ.

ग्राम - चिलाड़ पल्ला, पट्टी - बूंगी-2, रा. नि. क्षेत्र - नैनीडांडा, तहसील - धुमाकोट, जिला - पौड़ी गढ़वाल

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
79	7.557	9	उत्तराखण्ड सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	झाड़ी	7.557	–	
1	7.557	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	झाड़ी	7.557	–	

प्रमाणित किया जाता है कि खसरा सं 579 म रकबा कुल 7.557 हैक्टेयर भूमि में से 6.156 हैक्टेयर भूमि बैजुली - देवराड़ी - कफलेख - चौंडा - कड़रखाल मोटर मार्ग वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (6.156 हैक्टे.) हेतु प्रस्तावित भूमि चयनित है तथा नकल खसरा असल के मुताबिक है)

(हस्ताक्षर) 23/9/17
एच० एस० [illegible]
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी बूं.गी.-2
तहसील धुमाकोट
पौड़ी गढ़वाल

नक्शा छाया प्रति

ग्राम - थिलाऊ पल्ला/पट्टी - बूंगी तहसील धुमाकोट गढ़वाल

वास्ते :- मैरखुली - देवराड़ा - कफलेख - चौण्डा - कठूरखाल मोटर मार्ग हेतु वन भूमि प्रस्ताव में आपेक्षित वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु 6.156 हैक्टेयर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

प्रस्तावित 6.156 हैक्टेयर भूमि खेत नं० 579 लाल स्याही से दर्शाया गया है।

एम० एस० [illegible]
उपनिरीक्षक
धुमाकोट
पौड़ी गढ़वाल